झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–4018 वर्ष 2012

1. राज कुमार सोगानी उर्फ राज कुमार जैन

2. शैलेश जैन

क्रम सं0 1 और 2 दोनों पुत्र स्वर्गीय स्वरूप चंद जैन

3. सोना देवी, विधवा स्वर्गीय स्वरूप चंद जैन

क्रम सं0 1 से 3 सभी निवासी मेन रोड, बोडोडम बाजार, थाना–सदर, डाकघर और जिला–हजारीबाग

.... प्रतिवादी संख्या 1 (ए), (बी) और (सी)/याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. नंद किशोर खंडेलवाल

2. नवल किशोर खंडेलवाल

3. ज्ञानचंद खंडेलवाल

4. राज किशोर खंडेलवाल

क्रम सं0 1 से 4, सभी पुत्र स्वर्गीय शिवलाल सेठ

5. केशर देवी कंडेलवाल

6. शकुंतला सकुनिया

7. कोयल देवी

8. सरोज सकुनिया

9. मधुबाला खंडेलवाल

क्रम सं0 5 से 9 सभी पुत्री स्वर्गीय शिवलाल सेठ

क्रम सं0 1 से 9 सभी निवासी मोहल्ला–बड़ा बाजार, हजारीबाग टाउन, थाना–सदर, डाकघर एवं जिला–हजारीबाग

.... वादी/प्रत्यर्थीगण

10. नंद किशोर

11. नवल किशोर

12. ज्ञान चंद

क्रम सं0 10 से 12 सभी पुत्र स्वर्गीय शिवलाल सेठ एवं निवासी मोहल्ला–बड़ा बाजार, हजारीबाग टाउन, थाना–सदर, डाकघर एवं जिला–हजारीबाग

.... प्रोफार्मा प्रतिवादी/प्रोफार्मा प्रत्यर्थीगण

उपस्थित : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए :– श्री आयुष आदित्य, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थियों के लिए :– .....

05/10.05.2018 अभिलेख से पता चलता है कि उत्तरदाताओं को वर्ष 2012 में ही नोटिस वैध रूप से तामील की गई थी, हालांकि, वे अभी तक वर्तमान कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए हैं।

2. याचिकाकर्त्तागण–प्रतिवादी सं0 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) स्वत्व वाद सं0 21/1993 में दिनांक 24.05.2012 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा उनके खिलाफ एक–पक्षीय सुनवाई के लिए वाद रखा गया था और आदेश दिनांक 19.06.2012 से भी व्यथित है जिसके द्वारा 24.05.2012 के आदेश को वापस लने की मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

3. स्वत्व वाद सं0 21/1993 बंधक के मोचन की डिक्री के लिए संस्थित की गई थी। याचिकाकर्त्ता मुकदमें में प्रतिवादी सं0–1 के विधिक उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि हैं। प्रतिवादी सं0–1 की मृत्यु 05.09.2006 को हुई और 22.07.2010 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्त्ताओं को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दिनांक 19.06.2012 के आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्त्ताओं को 27.07.2011 को समन दिया गया था किन्तु उन्होनें अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज नहीं किया था और न ही वे वाद में उपस्थित हुए थे और परिणामस्वरूप दिनांक 24.05.2012 के आक्षेपित आदेश द्वारा उनके खिलाफ एक पक्षीय सुनवाई के लिए वाद रखा गया था।

4. याचिकाकर्त्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि उनके अधिवक्ता अर्थात् भैया नागेंद्र नारायण की मृत्यु के कारण याचिकाकर्त्ताओं को मुकदमें में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज करने के लिए केवल पांच दिन का समय देने के बाद 24.05.2012 को उनके खिलाफ एक–पक्षीय सुनवाई के लिए वाद रखा गया था।

5. सी0पी0सी0 के आदेश XXII नियम 4 (2) के तहत प्रतिवादी का विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित बयान दाखिल कर सकते हैं, हालांकि, एक प्रतिस्थापित प्रतिवादी मूल प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को अपनाने का चयन कर सकता है और यदि ऐसा किया गया है इस आधार पर कि प्रतिवादी के प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधि अतिरिक्त लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहा है, ऐसे विधिक प्रतिनिधि के खिलाफ एक–पक्षीय सुनवाई के लिए वाद नहीं रखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, 27.07.2011 को उन पर सम्मन की तामील के बाद याचिकाकर्त्ताओं ने मामले में कदम नहीं

उठाए हैं, हालांकि उन्होनें अपनी ओर से इस तरह के डिफॉल्ट के लिए एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण दिया है। याचिकाकर्त्ताओं ने निवेदन किया है कि अधिवक्ता की मृत्यु के बारे में जानकारी उन्हें 02.06.2012 को अधिवक्ता के क्लर्क द्वारा दी गई थी और उन्होनें 04.06. 2012 को दिनांक 24.05.2012 के आदेश को वापस लने के लिए आवेदन दायर किया है। उपरोक्त तथ्यों में, मेरी राय है कि सी0पी0सी0 के आदेश IX नियम 7 के तहत आवेदन को विचारण न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी जानी चाहिए थी। यह इस कारण से भी आवश्यक है कि आम तौर पर पार्टियों को योग्यता पर मुकदमा लड़ने और सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य देने का अवसर दिया जाना चाहिए, तकनीकी दस्तक से बचना चाहिए।

6. इस प्रकार, दिनांक 24.05.2012 और 19.06.2012 के आक्षेपित आदेशों में गंभीर दुर्बलता पाते हुए इन्हें अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्त्ता दो सप्ताह क भीतर अपना अतिरिक्त लिखित बयान, यदि कोई हो, दाखिल करेंगे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित बयान में दिए गए तथ्यों के विस्तार या स्पष्टीकरण तक सख्ती से सीमित रखेंगे और वे 4 सप्ताह के भीतर गवाहों की सूची दाखिल करेंगे यदि पहले से इसे दायर नहीं किया गया है।

7. पूर्वोक्त निबंधनों में रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ह0

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)